RMM Law College, Saharsa
Dheerendra Mandal
Time Lectures
Subject - Hindu Marriage Act
part - 1

दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन (धारा 9)

जबकि पति या पत्नी ने अपने को दूसरे के साहचर्य से किसी युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना प्रत्याहृत कर लिया हो तब व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए जिला न्यायालय में अर्जी द्वारा आवेदन कर सकेगा और न्यायालय ऐसी अर्जी में किये गये कथनों के सत्य के बारे में तथा इस बात के बारे में कि इसके लिए कोई वैध आधार नहीं है कि आवेदन मंजूर क्यों न कर लिया जाए तथा अपना समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन डिक्री कर सकेगा।

स्पष्टीकरण - जहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या साहचर्य का प्रत्याहरण के लिए युक्तियुक्त प्रतिहेतु है, वहाँ युक्तियुक्त प्रतिहेतु साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने साहचर्य से प्रत्याहरण किया है।

विवाह के बन्धन में बंधकर पति-पत्नी अपने-अपने दायित्वों को पूरा करते हैं। चूँकि पति और पत्नी विवाह रूपी रथ के दो पहिए हैं जिसमें अगर एक पहिया खराब हो जाये तो रथ का चलना कठिन हो जाता है, इसलिए विवाह रूपी रथ को चलाने के लिए पुनः पहिए की मरम्मत करनी आवश्यक हो जाती है। हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 में इस विवाह रूपी रथ के पहिये को ठीक करने का प्रावधान किया गया है। यदि पति या पत्नी एक दूसरे के साथ अपनी वैवाहिक जिम्मेदारी निभाने से इन्कार करते हैं अर्थात बिना युक्तियुक्त कारण के दूसरे की संगति से अलग हो जाते हैं तो दूसरे पक्ष को यह अधिकार है कि वह इस धारा के अन्तर्गत न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करके दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन का आदेश अपने पक्ष में प्राप्त कर सकता है। धारा 9 में दिया गया दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन का अधिकार आंग्ल विधि की देन है, परन्तु आज वैवाहिक मामलों में इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया है जबकि इस अधिनियम में यह अधिकार अभी तक विद्यमान है।

Scanned with CamScanner